

द्वियांगजन अधिकार संबंधी मुद्दों को हल करने में संरचित वमिर्श

यह एडिटोरियल 08/01/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित ["Structured negotiation as a boost for disability rights"](#) लेख पर आधारित है। इसमें द्वियांग आबादी के लिये संरचित वार्ता के महत्त्व के बारे में चर्चा की गई है और द्वियांगजनों (PwDs) के समक्ष वदियमान वभिन्न मुद्दों पर वचार कया गया है।

प्रलमिस के लयि:

[द्वियांगजन अधिकार अधनियम, 2016](#), [NFHS-5 सरवेक्षण](#), [द्वियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय \(CRPD\)](#), [द्वियांगता समावेशन सुवधाकरता \(DIFs\)](#), [इंडयिन साइन लैंगवेज](#), [राज्य के नीतनिदिशक सदिधांत](#), [सुगम्य भारत अभयान](#)।

मेन्स के लयि:

भारत में द्वियांगों के लयि संवैधानक ढाँचा, भारत में द्वियांगजनों से संबंधित मुद्दे, द्वियांगों के सशक्तकरण के लयि हालया पहल।

वशिषशक्तता या द्वियांगता (Disability) तब उत्पन्न होती है जब द्वियांगजनों को **व्यावहारिक और पर्यावरणीय** दोनों तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें समाज में पूर्ण एवं न्यायसंगत भागीदारी से ववरुद्ध करता है। **द्वियांगता पर परपिरेक्ष्य का वकिस एक वयक्तगत-केंद्रित चकितिसा मॉडल से एक व्यापक सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल के रूप में** हुआ है, जो द्वियांगजनों के समावेशन और भागीदारी पर सामाजिक कारकों के प्रभावको उद्घाटित करता है। इन पहलुओं के आलोक में, **संरचित वार्ता द्वियांगता अधिकारों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने में एक प्रभावशाली साधन के रूप में उभरती है।**

संरचित वार्ता (Structured Negotiation) क्या है?

परचय:

- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** संरचित वार्ता एक सहयोगात्मक और समाधान-प्रेरित ववाद समाधान पद्धति है, जो दनिनुदनि वद या मुकदमेबाज़ी (litigation) की जगह लेती जा रही है।
- **सामाजिक कल्याण संबंधी वधिन का फोकस:** इसमें चूककरता सेवा प्रदाताओं (defaulting service providers) को वार्ता के लयि आमंत्रित करना शामिल है, जहाँ सामाजिक कल्याण संबंधी वधिनों के अनुपालन पर बल दया जाता है।

अमेरिका में संरचित वार्ता की सफलताएँ:

- **द्वियांगता अधिकार संबंधी मामलों में प्रभावी:** संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वियांगता अधिकार संबंधी मामलों के नपिटान में संरचित वार्ता उल्लेखनीय रूप से सफल रही है।
- **अभगिम्यता संबंधी मुद्दों को संबोधित करना:** इन सफलताओं में ऑटोमेटेड टेलर मशीनों, पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों, पेडेस्टरयिन सगिनल और सेवा प्रदाता वेबसाइटों के साथ समस्याओं का समाधान करना शामिल है।

संरचित वार्ता में सरववजिय की स्थिति:

- **लागत और प्रचार संबंधी चतिाएँ:** चूककरता सेवा प्रदाता मुकदमेबाज़ी की उच्च लागत और नकारात्मक प्रचार से बचना चाहते हैं।
- **बाधा-मुक्त बाज़ार:** शकियतकरताओं का लक्ष्य है बाधा-मुक्त बाज़ार भागीदारी, जसि संरचित वार्ता के माध्यम से प्राप्त कया जा सकता है।

संरचित वार्ता में वधिक दृष्टांतों की भूमिका:

- **द्वियांग-अनुकूल दृष्टांतों का सृजन:** यह सफलता सुदृढ़ द्वियांग-अनुकूल वधिक दृष्टांतों या कानूनी मसिलों पर नरिभर करती है, जो संरचित वार्ता के लयि एक आधार तैयार करती है।
- **अभगिम्यता के लयि खाका:** न्यायालय अभगिम्यता के लयि एक खाका या ब्लूपरट तैयार करते हैं, जसिसे व्यवसायों को मुकदमेबाज़ी के बनिा अनुपालन सुनशिचित करने की अनुमत मिलती है।


भारत में द्वियांग आबादी के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के बारे में सीमति जागरूकता:**

- दवियांगजनों के लयि उपलब्ध सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी एक प्रमुख चुनौती है ।
 - यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीर है जहाँ सूचना प्रसारति करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शक्तिषा और रोजगार तक सीमति पहुँच:
 - ग्रामीण क्षेत्रों में दवियांगजनों को शक्तिषा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच में बाधा का सामना करना पड़ता है ।
 - शैक्षिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रशक्तिषण केंद्रों की अनुपस्थिति उनके कौशल अधिग्रहण और कार्यबल भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है ।
- दवियांगजनों के लयि पर्याप्त अवसररचना की कमी:
 - स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालयों और सरकारी कार्यालयों सहति वभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर दवियांगजनों के लयि प्रायः सामंजन सुवधियों की कमी होती है ।
 - यह कमी उनकी गतशीलता, शक्तिषा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक एवं नागरिक गतविधियों में संलग्नता को प्रतबंधित करती है ।
- महत्त्वपूर्ण पहलों से दवियांग बच्चों का अपवरजन:
 - **युनसिफ (UNISEF)** इस बात पर प्रकाश डालता है कि दवियांग बच्चों को प्रायः सार्वजनिक स्थानों से अपवरजति कयिा जाता है, जसिसे वे उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार पर लक्षति महत्त्वपूर्ण पहलों से चूक जाते हैं ।
- वकिसात्मक योजनाओं से अनवधानात्मक अपवरजन:
 - कुछ वकिसा संबंधी योजनाएँ अनवधानात्मक रूप में या अनजाने में दवियांगजनों को अपवरजति कर देती हैं । उदाहरण के लयिटीकाकरण अभयानों में रैप, सांकेतिक भाषा के दुभाषयों या बरेल सामग्री जैसी पहुँच सुवधियों का अभाव नजर आया ।
- भारत में दवियांगता अधिकार संबंधी कानूनों को लागू करने की चुनौतयों:
 - जबकि भारत ने दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRPD) की पुष्टि की है और दवियांगजन अधिकार अधनियम (RPwDs) को अधनियमति कयिा है, इन कानूनों के परवर्तन एवं कार्यान्वयन में अंतराल और चुनौतयों बनी हुई हैं ।
 - कई दवियांगजन अपने अधिकारों और उपलब्ध उपचारों के प्रतअनजान बने रहते हैं ।
- अपर्याप्त राजनीतिक भागीदारी:
 - राजनीतिक अवसर के मामले में दवियांगजनों का अपवरजन देश में राजनीतिक प्रक्रया के सभी स्तरों पर और वभिन्न रूपों में घटति होता है, जैसे:
 - नरिवाचन क्षेत्रों में दवियांगजनों की सटीक संख्या पर अद्यतन समग्र डेटा का अभाव ।
 - मतदान प्रक्रया की दुरगमता (बरेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के व्यापक उपयोग का अभाव) ।
 - दलीय राजनीति में भागीदारी के मामले में बाधाएँ ।

Disabled Population by Type of Disability (%) India : 2011

Proportion of Disabled Population by Type of Disability India : 2011 (%)			
Type of Disability	Persons	Males	Females
Total	100.0	100.0	100.0
In Seeing	18.8	17.6	20.2
In Hearing	18.9	17.9	20.2
In Speech	7.5	7.5	7.4
In Movement	20.3	22.5	17.5
Mental Retardation	5.6	5.8	5.4
Mental Illness	2.7	2.8	2.6
Any Other	18.4	18.2	18.6
Multiple Disability	7.9	7.8	8.1



संरचित वार्ता दवियांगता अधकारों को बढावा देने में कसि प्रकार मदद कर सकती है?

- भारतीय वधिकि प्रणाली में मौजूद चुनौतियों को संबोधति करना:
 - भारतीय सविलि न्यायालयों में लालफीताशाही: भारतीय सविलि न्यायालयों में मामलों के लंबति होने, कागजी कार्रवाई और लालफीताशाही (Red Tape) की स्थिति पारंपरिक वविद समाधान को हतोत्साहित करती है।
 - दवियांगजनों के अधकार अधनियम, 2016: यह कानून मुख्य आयुक्त को गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, लेकिन अभिगम्यता पर इसका प्रभाव अनश्चिति है, जहाँ संरचित वार्ता प्रभावी सदिध हो सकती है।
- भारत में CCPD के प्रयासों को पूरकता प्रदान करना:
 - PayTM मामले का उदाहरण: दवियांगजनों के लिये मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner for Persons with Disabilities-CCPD) ने PayTM को अपने ऐप को सुगम बनाने का नरिदेश दिया, लेकिन अनुपालन के परिणामस्वरूप इसकी दुरगमता बढ गई।
 - नरितर सतरकता की आवश्यकता: वास्तविक समय अभिगम्यता के लिये समाधानों को मान्य करने हेतु नरितर सतरकता और उपयोगकर्ता इनपुट की आवश्यकता होती है। संरचित वार्ताएँ इन आवश्यकताओं को दूर कर सकेंगी।
- भारत में संरचित वार्ता की संभावना:
 - गैर-अनुपालन लेबल से बचना: संरचित वार्ता PayTM जैसे सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन से जुड़ी शर्मिंदगी से बचने में मदद कर सकती है।
 - दवियांगजनों की प्रत्यक्ष भागीदारी: यह दवियांगजनों को प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदाताओं को संबोधति करने और सुधारों के कार्यान्वयन की नगिरानी करने में सक्षम बनाता है।
- भारत में व्यवसायों के लिये दवियांगता समावेशन को प्राथमिकता देना:
 - प्राथमिकता का महत्त्व: वैकल्पिक वविद समाधान (alternative dispute resolution) की सफलता उन सेवा प्रदाताओं पर नरिभर करती है जो दवियांगजनों की चिंताओं को प्राथमिकता देते हैं।
 - वशाल कर्य क्षमता: व्यवसायों को दवियांग उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि उनकी उल्लेखनीय कर्य क्षमता का लाभ उठा सकें और इसमें संरचित वार्ता महत्त्वपूर्ण सदिध हो सकती है।
- संवधानिक अधदिशों को बढावा देना:
 - राज्य नीतिके नदिशक सदिधांतों (DPSP) के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और वकिस की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शकिषा पाने के और बेकारी, बुढापा, बीमारी और नःशिकतता तथा अन्य अनरह अभाव की दशाओं में सहायता पाने के अधकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
 - संवधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'नःशिकत और नयौजन के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता' नरिदषिट है।
 - संरचित वार्ता इन दायित्वों की पूरति के लिये सरकारों के प्रयासों को पूरकता प्रदान करने में मदद करेगी।

दवियांगजनों के सशक्तीकरण के लिये प्रमुख सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

- भारत में:
 - वशिषिट नःशिकतता पहचान पोर्टल (Unique Disability Identification Portal)
 - सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
 - दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
 - दवियांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिगि में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
 - दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)
- वैश्विक स्तर पर:
 - एशिया और प्रशांत कषेत्र में दवियांगजनों के लिये 'अधकारों को साकार करने' हेतु इंचयोन कार्यानीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific)।
 - यह एशिया-प्रशांत कषेत्र में दवियांगजनों के अधकारों और कल्याण को आगे बढाने के उद्देश्य से की गई पहल है।
 - इस रणनीति का नाम इंचयोन (दक्षिण कोरिया) के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे दवियांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक 2003-2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर आयोजति उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी बैठक के दौरान अंगीकार किया गया था।
 - दवियांगजनों के अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability)।
 - अंतरराष्ट्रीय दवियांगजन दविस (International Day of Persons with Disabilities)
 - दवियांगजनों के लिये संयुक्त राष्ट्र सदिधांत (UN Principles for People with Disabilities)

नषिकरष:

- वैकल्पिक वविद समाधान पद्धतिके रूप में संरचित वार्ता की प्रभावकारिता, वशिष रूप से दवियांगता अधकार मामलों को संबोधति करने के संबंध में, अतरिंजति नहीं की जा सकती है। दवियांगजनों के लिये अभिगम्य वातावरण को बढावा देने में इसकी सफलता, जैसा कि प्रमुख नगिमां से जुड़े उल्लेखनीय मामलों से प्रकट होता है, पारंपरिक वादों की तुलना में इसके अधकि व्यावहारिक लाभों को उजागर करती है हेलेन केलर (Helen Keller) के शब्दों में कहें तो 'आशावाद उपलब्धि की कुंजी है' और भारत में बड़े पैमाने पर संरचित वार्ता की व्यवस्था करना अधकि समावेशी एवं अभिगम्य भवषिय की दशिा में एक सामयिक और अनविर्य कदम है।

अभ्यास प्रश्न: वधिान और वैकल्पिक वविद समाधान वधियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत में दवियांग आबादी के समक्ष वदियमान चुनौतियों की

चर्चा कीजिये। समावेशिता को बढ़ावा देने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपायों के सुझाव भी दीजिये।

वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. भारत लाखों दृष्टिबाधितों का घर है। कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

??????:

प्रश्न: क्या दृष्टिबाधित अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन हेतु प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिये। (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/structured-negotiation-in-resolving-disability-rights-issues>

